न्यायालय श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा

1– डा0 एस0 एम0 शफी तनय स्व0 श्री शेख अब्दुल सकूर

2– डा0 एस0 एम0 जहीर तनय स्व0 श्री शेख अब्दुल सकूर

दोनो निवासी नजीराबाद पेट्रोल पम्प के पास बैरिस्टर गुलशेर अहमद के मकान के पीछे सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म0प्र0) ———————————— निगरानीकर्ता

बनाम

1– शेख मोहम्मद सलीम तनय स्व0 श्री शेख अब्दुल सकूर निवासी नजीराबाद सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म0प्र0)

2– एस0 एम0 कलीम तनय स्व0 श्री शेख अब्दुल सकूर निवासी नजीराबाद पेट्रोल पम्प के पास बैरिस्टर गुलशेर अहमद के मकान के पीछे सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म0प्र0)—– गैर–निग0गण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म0प्र0) के अपील प्रकरण क0– 112/अपील/2016–17 मे पारित आदेश दिनांक 21/03/18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं01959ई0

मान्यवर,

प्रकरण से संक्षिप्त तथ्य :–

यह कि प्रार्थी निग0कर्तागण एवं गैर–निग0कर्तागण आपस मे सगे भाई है। मौजा धवारी प0ह0नं0 77, रा0नि0मं0 सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना स्थित आराजी नं0 746/2/2/1 रकबा 0.073हे0 के भूमिस्वामी प्रार्थी/निग0कर्तागण के पिता श्री शेख अब्दुल शकूर तनय स्व0 रजा मोहम्मद थे जिनकी मृत्यु दिनांक 19/06/01 को हो चुकी है। प्रार्थी/निग0कर्तागण के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद सभी भाईयो के नाम विधिवत सभी लोगो की जानकारी मे नामान्तरण पंजी क0 365 मे पारित आदेश दिनांक 27/10/16 को चोरो भाइयो के नाम तहसील रघुराजनगर से वारिसाना नामान्तरण का आदेश पारित किया गया व चारो भाई 1/4–1/4 हिस्सा भूमिस्वामी व मालिक काबिज अधिकारी के रुप मे दर्ज अभिलेख है। उक्त वारिसाना नामान्तरण के 9 माह बाद गैर–निगरानीकर्ता क0 1 ने सोची समझी रणनीति के तहत योजनापूर्ण ढंग से शेष भाइयो का हक व हिस्सा हड़पने के आशय से फर्जी व कूटरचित वसीयत के आधार पर माननीय अनुविभागीय अधिकारी तहसील रघुराजनगर सतना के न्यायालय मे अवधिबाहय अपील प्रकरण धारा 5 म्याद अधिनियम के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया है जो

(109)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II/निग0/2018/2557 जिला–सतना

डा0 एस0एम0 शाफी/ शेख मो0 सलीम

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सी0पी0 शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 112/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 21.03.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.10.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	